जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　दिनॉक 03-03-2021

आज दिनांक 03.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह **के निकट पर्यवेक्षण** व **क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीष भदौरिया** के मार्गदर्शन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थानाध्यक्ष महुली श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री हरिकेश भारती द्वारा मझगांवा मोड़ पुलिया के पास से **01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल (बजाज प्लेटिना) के साथ संजय शर्मा पुत्र दरगाही शर्मा निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनग**र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 70 / 2021 धारा 41 / 411 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01- संजय शर्मा पुत्र दरगाही शर्मा निवासी रेवटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी –

01 - 01 अदद मोटरसाइकिल (बजाज प्लेटिना) रजिस्ट्रेशन नंबर UP 53 BH 2770 (कूट रचित) चोरी की।

विवरण –

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर महोदय के द्वारा वांछित एवं संक्रिय अपराधियों व जमानत में बाहर हुए आये हुए शातिर अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.03.2021 को ग्राम चवरिया से रेवटा जाने वाली सड़क पर मझगांवा मोड़ स्थित पुलिया के पास से संदिग्ध वाहन / व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को संदेह होने पर चेकिंग हेतु रोका गया। पूछताछ के दौरान **मोटर साइकिल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी चोरी की है जिसे मैंने औऱ मेरे साथी बालिंदर यादव पुत्र राजमन यादव निवासी मझगाँवा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से चुराया था। मोटर साइकिल की पहचान छुपाने के लिए नंबर प्लेट हम लोगों ने बदल दिया है जिसका असली रजिस्ट्रेशन नंबर UP 43 Q 2183 है तथा उक्त मोटरसाइकिल का प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं।**

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

प्रभारी चौकी कालीजगदीशपुर उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 अरविन्द कुमार, का रमेश यादव(स्वाट टीम), का ऋषिवेद तिवारी (स्वाट टीम)।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 20 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता ग़शवन्त पुत्र सीताराम निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 101/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, का0 संतोष यादव, का0 अमेरिका यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा लावारिस महिला को उसके परिजनों के किया गया सुपुर्द – पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत बेलहरकला से इवेन्ट संख्या 08865 से कालर ने लावारिस महिला मिलने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से महिला के परिजनों को तलाश कर उनके सुपुर्द किया गया तथा थाना बेलहरकला को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से महिला को उनके पति के सुपुर्द कर उनके साथ किसी अप्रिय घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 श्रवण कुमार त्रिपाठी, आ0 राहुल कुमार मौर्य, हो0चा0 देवनाथ राय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 43 वाहनो से 49500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 43 वाहनो से 49500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।